ग्रामीण अनुसूचित जाति की महिलाओं के शैक्षिक स्तर का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन (आगरा जनपद के विशेष सन्दर्भ में)

दयालबाग एजूकेशनल इन्स्टीट्यूट (डीम्ड विश्वविद्यालय)

के अन्तर्गत पीएच०डी० (समाजशास्त्र) की

उपाधि हेतु प्रस्तावित रूपरेखा

शोधार्थिनी

पूजा कठेरिया

शोध निर्देशक

प्रो० लजवन्त सिंह
समाजशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान विभाग
समाज विज्ञान संकाय

समाजशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान विभाग, समाज विज्ञान संकाय

दयालबाग़ एजूकेशनल इन्स्टीट्यूट, (डीम्ड यूनिवर्सिटी)

दयालबाग़, आगरा-282005

2022

प्रस्तावना-

शिक्षा किसी भी देश के विकास में एक महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है। स्वतन्त्रता के समय भारत में 70 प्रतिशत जनसंख्या अनपढ़ थी। विश्व की अधिकांश अशिक्षित जनसंख्या जिन नौ देशों में निवास करती उसमें भारत का नाम भी शामिल है। सन् 2001 के जनगणना आंकड़ों के अनुसार भारत की 65.38 प्रतिशत आबादी शिक्षित है। 2011 की जनगणना के आधार पर भारत की कुल जनसंख्या 4380793 है। 2021 के अनुसार भारत की जनगणना के आधार पर भारत की जनंसख्या 1.39 मिलियन (129 करोड़) होने का अनुमान है।

शिक्षा शब्द की उत्पत्ति 'शिक्ष' धातु से हुई है जिसका अर्थ होता है सीखना/सिखाना तथा ज्ञान प्राप्त करना ही शिक्षा कहलाती है।

शिक्षा का तात्पर्य है शिक्षा का अर्थ सीखना/सीखने से है। व्यापक अर्थ में शिक्षा सदैव चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा के माध्यम से ही मनुष्य की जन्मजात शक्ति का विकास व उनके ज्ञान में वृद्धि, कौशलों की वृद्धि तथा व्यवहार में परिवर्तन ही शिक्षा है। शिक्षा के द्वारा मनुष्य समाज का एक योग्य नागरिक का निर्माण करता है। शिक्षा के माध्यम से ही मनुष्य के सम्पूर्ण जीवन का सर्वागीण विकास होता है। शिक्षा को ही व्यक्ति के सामाजिक परिवर्तन एवं विकास का सबसे शक्तिशाली साधन माना जाता है। व्यक्ति की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का विकास शिक्षा द्वारा ही किया जा सकता है।

अनुसूचित जाति समूह देश की कुल जनसंख्या की एक चौथाई हिस्सा माना जाता है। शिक्षा के द्वारा से ही अनुसूचित जाति के लोगों को सशक्त बनाया जा सकता है। जिससे अनुसूचित जाति के लोगों को गरीबी और सामाजिक आर्थिक पिछडेपन को दूर करने का प्रयास किया जा सकता है।

शिक्षा के द्वारा अनुसूचित जाति एवं अन्य वर्गो के लोगों की स्थिति को सुधारा जा सकता है। सरकार ने विभिन्न ऐसी नीतियां एवं योजनाएं बनायी हैं जिससे लोगों की सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में सुधार की सम्भावनाऐं बढ़ती जा रही है।

सन् 1882 हंटर आयोग की नियुक्ति हुई। महात्मा ज्योतिराव फुले ने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के

साथ सरकारी नौकरियों में सभी के लिए अनुपातिक आरक्षण/प्रतिनिधित्व की मांग की थी। भारत जैसे देश में प्राचीन शिक्षा पद्धति में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की शैक्षणिक केन्द्रों का उल्लेख प्राप्त होता है। औपचारिक शिक्षा से तात्पर्य यह है कि यह औपचारिक शिक्षा मन्दिरों, आश्रमों, गुरुकलों आदि के माध्यम से प्राप्त की जाती थी। यह ही शिक्षा का मुख्य केन्द्र बिन्दु माने जाते हैं। विद्यार्थी इन्हीं के माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर पाता था। यही से उच्च शिक्षा प्राप्त की जाती थी। तथा अनौपचारिक शिक्षा परिवार, पुरोहित, पण्डित आचार्य, सन्यासी तथा त्यौहारों के माध्यम से प्राप्त होती हैं तथा माता ही बच्चों की सर्वश्रेष्ठ गुरु मानी जाती है कि पिता ही बच्चे का शिक्षक के रूप में हुआ करते थे। जैसे-जैसे समाज का विकास होनेे लगाा वैसे-वैसे शिक्षा संस्थायें स्थापित होने लगी।

गुरुनानक देव ने शुद्रों (अनुसूचित जाति) के व्यक्ति को ऊँचा उठाने के लिए अनेक प्रयास किये हैं। गुरुनानक देव ने शुद्र लोगों को अपना मित्र और साथी बना लिया, उन्होंने अनुसूचित जाति के बच्चों को शिक्षा देने के लिए अनेकों प्रयत्न किया एवं अत्यधिक प्रबन्ध किये हैं।

डॉ० बी०आर० अम्बेडकर ने सामाजिक व्यवस्था पर अनेकों प्रश्न खड़े किये। दलितों पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए उन्होंने दलित आन्दोलन को उन्होंने जुझारू बनाया तथा चेतनशील बनाया और उन्होंने अपनी जाति (अनुसूचित जाति) को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया।

डॉ० अम्बेडकर ने संविधान में अनुसूचित जाति के लोगों को शिक्षा, नौकरी, चिकित्सा, राजनीति आदि क्षेत्रों में कानूनी और संवैधानिक में प्रावधान के अन्तर्गत अनेकों प्रकार की सुविधायें प्रदान की है।

डॉ० अम्बेडकर ने शिक्षा को जीवन का मूल्यवान एवं एक महत्वपूर्ण साधन बताया है तथा उन्होंने अनुसूचित जाति के लोगों को शिक्षा प्राप्ति के लिए प्रेरित किया उन्होंने अपने त्रिःसूत्रीय शिक्षित बनो नारों में संगठित रहो संघर्ष करो के द्वारा अछूतों एवं पिछड़ों को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान की तथा जीवन में शिक्षा को पहला स्थान प्रदान किया।

भारत में शिक्षा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि-

भारतीय शिक्षा का इतिहास ही भारतीय सभ्यता का इतिहास है। भारतीय समाज का विकास और समाज में होने वाले परिवर्तनों में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षा निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा का बहुत पुराना इतिहास रहा है। शिक्षा हर रूप में देखी जाती है। शिक्षा प्राचीनकाल से ही विद्यमान है। बौद्धकाल में स्त्रियों और शूद्रों को भी शिक्षा की मुख्यधारा में सम्मिलित किया गया था।

- सन् 1906 बड़ोदा के महाराज सयाजी राव गायकवाड़ भारत के ऐसे प्रथम शासक थे। जिन्होंने सन् 1906 में अपने राज्य में निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा आरम्भ की।
- सन् 1911 गोपाल कृष्ण गोखले ने प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य करने का प्रयास किया।
- सन् 1937-38 में गांधीवादी विचारों पर आधारित बुनियादी शिक्षा योजना लागू की।

प्राचीन भारत में जिन शिक्षा व्यवस्था को लागू किया गया था वह अत्यधिक कठोर थी। जिससे भारतीय शिक्षा का व्यवस्था का ह्रास हुआ। विदेशियों ने शिक्षा व्यवस्था का विकास नहीं किया। जिस अनुपात में शिक्षा का विकास होना था उस अनुपात में शिक्षा का विकास नहीं हो पा रहा था। संक्रमण काल में भारतीय शिक्षा को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा।

- सन् 1850 तक भारत में गुरुकुल की प्रथा चलती आ रही थी। अंग्रेजी शिक्षा के कारण प्राचीन शिक्षा व्यवस्था का अन्त हुआ तथा भारतीय प्राचीन शिक्षा समाप्त हो गयी। भारत में कई गुरुकुलों की शिक्षा का अन्त हुआ तथा भारतीय शिक्षा समाप्त हो गयी। भारत में कई गुरुकुल की शिक्षा बन्द हो गइ। तथा कई स्थानों पर कान्वेंट स्कूल खोल दिये गये।

मध्यकाल-

भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना होते ही इस्लामी शिक्षा का प्रचार-प्रसार होने लगा तथा लोग अरबी और फारसी पढ़ने लगे। बादशाहों और शासकों की रुचि के अनुसार उन्हें शिक्षा दी जाने लगी तथा इसके साथ-साथ कई मदरसों, पुस्तकालयों की स्थापना हो प्रारम्भ हो गया तथा यहाँ हिन्दु बालक भी पढ़ते थे। यहाँ विद्यार्थियों

को धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। साथ ही विद्यार्थियों को इतिहास, साहित्य, व्याकरण, तर्कशास्त्र तथा कानून इत्यादि की भी शिक्षा दी जाती थी। सरकार शिक्षकों की नियुक्ति करती थी। शिक्षा फारसी के माध्यम से दी जाती थी। छात्रों के रहने के लिए छात्रावास का प्रबन्ध मदरसों में किया जाता था। विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलती थी। यहाँ शिक्षा निःशुल्क होती थी। छात्रों और शिक्षकों का आपसी सम्बन्ध प्रेम और सम्मान था। यहाँ सादगी, सदाचार और विद्याप्रेम तथा धर्माचारण पर विशेष ध्यान दिया जाता था।

शिक्षा की परिभाषा-

1 डॉ० राधा कृष्णन के अनुसार, "शिक्षा व्यक्ति को और सामाजिक सर्वोन्मुखी विकास की सशक्त प्रक्रिया है।"

2 डॉ० ए.एस. अलतेकर के अनुसार, "वैदिक युग से लेकर आज तक भारत में शिक्षा का मूल तात्पर्य यह रहा है कि शिक्षा प्रकाश का वह स्त्रोत है जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारा सच्चा पथ प्रदर्शक करती है।"

3 डॉ० अल्टेकर के अनुसार, "भारत की प्राचीन शिक्षा आध्यात्मिकता पर आधारित थी। शिक्षा, मुक्ति एवं आत्मबोध के साधन के रूप में थी। यह व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि धर्म के लिए थी। भारत की शैक्षिक एवं सांस्कृतिक परम्परा विश्व इतिहास में प्राचीनतम है।"

1 **स्वामी विवेकानन्द-** मनुष्य की अन्तर्निर्हित पूर्णतः को अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है।

2 **चाणक्य-** शिक्षा सबसे बड़ा मित्र है। शिक्षित व्यक्ति का हर जगह आदर-सम्मान होता है। शिक्षा सुन्दरता और जवानी को भी पराजित कर सकती है।

3 **अरस्तु-** शिक्षा की जड़ी कड़वी है लेकन फल मीठा होता है।

4 **डॉ० भीमराव अम्बेडकर-** शिक्षा से मेरा तात्पर्य है बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वागीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है।

5 **हर्बट स्पैन्सर-** शिक्षा का अर्थ अन्तः शक्तियों का बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना है।

6 **पेस्तालॉजी-** शिक्षा मानव की सम्पूर्ण शक्तियों का प्राकृतिक, प्रगतिशील और समाजस्यपूर्ण विकास है।

आधुनिक भारत एवं दलितो की शैक्षिक स्थिति-

शिक्षा एक ऐसा साधन है जो राष्ट्र की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो मनुष्य को एक अच्छा नागरिक बनाती है। जो नागरिकों को सशक्त बनाने का प्रयास करती है तथा उनके आत्मविश्वास एवं आत्मशक्ति का विकास करती है और उन्हें शक्ति से परिपूर्ण करती है।

शिक्षा में केवल पाठ्य-पुस्तकों का ज्ञान होना ही आवश्यक नहीं है बल्कि व्यक्ति में कौशल, नैतिक गुणों का विकास मूल्य तथा क्षमताओं का विकास होना शामिल है। भारत सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रारम्भिक शिक्षाका प्रोत्साहन देने के लिए कई नीतियां एवं योजनाओं तथा प्रावधानों को तैयार किया है।

भारत में सामाजिक रूप से वंचित वर्गों के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आदिवासी लोगों को शामिल किया है। भारत अनेक विभिन्नता वाला देश है उसमें, सामाजिक, आर्थिक, भाषार्यी, सांस्कृतिक विभिन्नता/विविधताएं स्पष्ट रूप से दिखायी पढ़ती है। भारत में जो लोग सामाजिक रूप से पिछड़े हैं उन पर भी पूर्णरूप से ध्यान केन्द्रित किया गया है।

भारत की जनगणना सन् 2011 के अनुसार, “जहाँ देश में कुल साक्षरता दर लगभग 74.04 प्रतिशत है, वहीं अनुसूचित जाति की साक्षरता दर 66.10 प्रतिशत है बाकि महिला साक्षरता दर वर्ष 2011 में सामान्य महिला साक्षरता दर 64.6 प्रतिशत थी। वंचित वर्गों के बच्चों से सम्बन्धित कार्यक्रमों को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला वह जिसमें सभी बच्चों को सम्मिलित किया गया है। दूसरा वह जिसमें केवल अनुसूचित जाति के बच्चों को शामिल किया गया है तथा अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए तैयार किया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने भी अनेक कार्यक्रम को तैयार किया है। सर्वशिक्षा अभियान व राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय भारत सरकार के मुख्य कार्यक्रम हैं जो इस दिशा में लागू किये गये हैं। सर्वशिक्षा अभियान एक ऐसा कार्यक्रम है जो आठ साल तक के बच्चों को लैंगिक तथा सामाजिक भेदभाव को दूर रखते हुए छात्रों को उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षा प्रदान करना है।

संवैधानिक उपबन्ध- राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों में 14 वर्ष आयु तक के सभी बच्चों को शिक्षा तथा विशेष रूप से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों शैक्षिक तथा आर्थिक हितों की व्यवस्था करना शामिल है।

अनच्छेद 350 (क) में राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों को भाषायी अल्पसंख्यक समुदाओं के बच्चों को प्राथमिक स्तर तक मातृभाषा में शिक्षा दिलाने के लिए पर्याप्त निर्देश दिये गये हैं। बच्चों को कम से कम कक्षा 1 और कक्षा 2 में शिक्षा उनकी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। बच्चों को उच्चतर शिक्षा में बेहतर रोजगार के लिए क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दी जाये।

आधुनिक समाज में अनुसूचित जातियों की महिलाओं की शैक्षिक स्थिति-

महिलाओं का उपेक्षित होने के कारण है हमारे धर्मशास्त्रों में महिलाओं को सर्वोपरि माना गया है। यहाँ तक की महिलाएँ राष्ट्र-निर्माण में भी अपनी महत्वपूर्ण व अहम् भूमिका निभाती आयी है। वह अपनी भूमिका के प्रति संवेदनशील व संचेत होने के बावजूद सामाजिक और आर्थिक अधिकारों से वंचित हैं। इसका मुख्य कारण महिलाओं का अशिक्षित होना है। ग्रामीण महिलाओं की शिक्षा की जरूरत ही महसूस नहीं की जा सकती। उनको घर की देख-भाल करने में लगा दिया जाता है जिसके लिए औपचारिक शिक्षा की जरूरत नहीं है।

1991 की जनगणना के अनुसार, "भारत में करीब 39 प्रतिशत महिलाएँ ही साक्षर हैं। 6-10 वर्ष की आयु में, 39.30 प्रतिशत, 10-13 वर्ष की आयु में 46.60 प्रतिशत, 14-16 वर्ष की आयु में 28.97 प्रतिशत तथा 17-19 वर्ष की आयु में 12.36 प्रतिशत ग्रामीण बालिकाएँ विद्यालय में जाती है। उपर्युक्त आंकड़ों से पता चलता है कि 10-13 वर्ष 14-16 वर्ष तथा 17-19 वर्ष की आयु में विद्यालय जाने वाली बालिकाओं की संख्या बहुत ही कम है। 'भारत की प्राथमिक शिक्षा' की रिपोर्ट से यह पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाली बालिकाओं का पहली कक्षा में दाखिला होता है। ग्रामीण क्षेत्रों की बालिकाएँ चौथी, पांचवी कथा तक, आठवीं कक्षा तक तथा नौंवी कक्षा तक बारहवीं कक्षा तक ही पहुंच पाती है। ग्रामीण क्षेत्रों की कई बालिकाएं प्राथमिक स्तर तक पढ़ने के बाद पढ़ाई छोड़ देती है और कुछ बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा से अलग रखा जाता है। यह समस्या

ज्यादातर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति में देखने को मिलती है।

महिला शिक्षा के प्रयास-

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के अशिक्षित होने के निम्न कारण हैं जैसे- गरीबी, माता-पिता का अशिक्षित होना, महिला अध्यापिकाओं की कमी, विद्यालयों का दूर स्थित होना, शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं की कमी, रूढ़िवादिता बालक-बालिकाओं के बीच अन्तर के कारण ग्रामीण बालिकाऐं अशिक्षित रह जाती है। राज्य सरकार ने कई एवं अनेकों कदम उठाए हैं जिसमें बालिकाओं की साक्षरता दर को बढ़ाया जा सके।

सन् 1995 ने नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूटीशन सपोर्ट दू प्राइमरी एजुकेशन जो 'दोपहर' का भोजन योजना के नाम से जाना जाता है। यह कार्यक्रम वर्तमान में प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों के पोषण की देख-भाल के माध्यम से छात्रों की प्राथमिक शिक्षा को सफल बनाना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सभी विद्यार्थियों को पौष्टिक भोजन प्रदान करना है।

सन् 1995-96 के दौरान, देश के 378 जिलों के 2.25 लाख विद्यालयों में 3.35 करोड़ छात्रों को इस योजना से लाभ पहुँचाया गया है। महिला संघ एक ऐसी योजना थी जिसके माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को शिक्षा दी जाती थी जो अप्रैल 1989 में शुरू की गई। इस योजना के द्वारा महिलाओं को स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी एवं विकास कार्यक्रमों के प्रति जागरूक किया गया।

सन् 1991 में यूनीसेफ की सहायता से बिहार में शिक्षा परियोजना शुरू की गई। इसका लक्ष्य था यह प्राथमिक शिक्षा को व्यापक बनाना और राज्य में शिक्षा के स्तर में सुधार लाना था। इसका मुख्य लक्ष्य महिलाओं को कमजोर वर्गों एवं पिछड़ी जाति को शिक्षा प्रदान करना है।

ग्रामीण महिलाओं को एक-दूसरे से सीखने का मौका मिले इसलिए सरकार ने 'महिला मण्डल योजना' शुरू की है। सरकार ने रिसोंसं पर्सन की नियुक्ति करती है जो ग्रामीण महिलाओं को अनेकों जानकारी प्रदान करती है। जैसे- शिशु पालन, कानून की शिक्षा, महिला सम्बन्धी अधिकारों की शिक्षा, पौढ़ शिक्षा इत्यादि।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं एवं अल्पसंख्यकों के उत्थान को नौवी योजना

में रखा गया है। ताकि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं महिलायें सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन में भागीदार या हिस्सेदार बन सके। नौंवी पंचवर्षीय योजना में महिलाओं और लड़कियों के राष्ट्रीय विकास के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। सरकार की कई योजनाओं के बावजूद भी ग्रामीण महिलायें एवं बालिकायें अशिक्षित है।

साक्षरता की स्थिति का मूल्यांकन करते समय यह पता चला कि सन् 1991 की जनसंख्या के आधार पर भारत में अनुसूचित जातियों की आबादी 7.19 करोड़ पुरुष और 6.63 करोड़े महिलाए थी। राजस्थान में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 40.07 लाख पुरुष और 36.01 लाख महिलाएं थी। राजस्थान में अनुसूचित जातियों की साक्षरता दर 26.29 प्रतिशत और भारत में 37.41 प्रतिशत थी। भारत में सबसे कम साक्षर बिहार राज्य था। साक्षरता की दृष्टि से राजस्थान 27वाँ स्थान पर था।

सन् 1961 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर 24 प्रतिशत थी तथा सन् 1991 में 52.21 प्रतिशत हो गई थी। वही 30 वर्ष में 28.21 प्रतिशत में बृद्धि हुई जिससे भारत की साक्षरता दर में वृद्धि हुई।

सामाजिक एवं शैक्षणिक स्तर पर महिलाओं और पुरुषों के बीच असमानता विद्यमान रही है। जनसंख्या में महिलाओं की आबादी पुरुषों की आबादी की लगभग 50 प्रतिशत रही है। यह भी एक कटु सत्य है। कि महिलाओं के सामाजिक और शैक्षणिक विकास के बगैर किसी देश की वास्तविक विकास संभव नहीं है। शैक्षणिक विकास की मुख्यधारा में स्त्रियों को सम्मिलित करना अत्यधिक आवश्यक है। भारत में पुरुषों की तुलना में अनुसूचित जाति की महिलाओं की साक्षरता दर में 1991 से बीच जो वृद्धि हुई है।

ज्योतिराव फूले का मानना था कि परम्परागत हिन्दू समाज द्वारा शूद्रो, अतिशूद्रो और महिलाओं को शिक्षा के अधिकारों से वंचित कर दिये जाने से वे अज्ञान के अंधकार में भटकते रहे हैं। और अज्ञानता के कारण ये दोनों वर्ग अपने अस्तित्व को पहचान नहीं पा रहे हैं। इसलिए जब तक इन वर्गों को शिक्षा नहीं दी जाती यह जाग्रत नहीं होगें और इनकी जाग्रति के बिना सामाजिक क्रांति नहीं हो सकेगी।

ज्योतिराव फूले ने शिक्षा-प्रचार के उद्देश्य से लगभग अठारह पाठशालायें खोली थी। जिनमें शूद्र वर्ग की

महिलायें और छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ज्योतिराव फूले चाहते थे कि शूद्र लोगों को इस प्रकार की शिक्षा दी जाये कि वे अपनी सामाजिक समानता और वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाये। यह तभी हो सकेगा जब वह शिक्षा के कारणों, अच्छा-बुरा क्या है, अपना हित-अहित किसमें है। लोग इसी उद्देश्य को सामने रखकर शिक्षा ग्रहण कर सके।

सन् 1971 से यूनेस्को द्वारा स्थापित शिक्षा के विकास पर गठित अन्तर्राष्ट्रीय आयोग की वार्षिक रिर्पोट के अनुसार, "शिक्षा की प्रमुख आवश्यकता है 'जानना' हासिल करना, बनाना' यहाँ 'होना' का अर्थ 'व्यक्तित्व और इसके विकास' से है। सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का उद्देश्य पढ़ना, लिखना, सीखना है माध्यमिक स्तर पर चरित्र निर्माण है, उच्च माध्यमिक स्तर पर समाज को समझना है और कॉलेज विश्वविद्यालय स्तर पर दक्षता ज्ञान प्राप्त करना है।

प्राथमिक, माध्यमिक तथा हाई स्कूल तक दलितों का नामांकन लगभग 15 प्रतिशत है तथा उच्च माध्यमिक, स्नातक, स्नातकोत्तर स्तर पर लगभग 8 प्रतिशत है। शिक्षा में उनकी कृति निम्न स्तर की है। हाई स्कूल स्तर पर दलितों के पास औसत 53 प्रतिशत है। (इसके विपरीत सामान्य पास औसत 65 प्रतिशत है) स्नातक स्तर पर 35 प्रतिशत है इसके विपरीत सामान्य उत्तीर्ण प्रतिशत 76 प्रतिशत है।

दलित सुधारवादी एवं कल्याणकारी कार्यक्रम-

महात्मा गाँधी ने हरिजन की समस्याओं को सन् 1924 से ही उठाया था। इसके अलावा भी ऐसे कई प्रयत्न किये गये हैं। सन् 1916-1922 के बीच दलित वर्ग को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना। दलितों को उच्च शिक्षा हेतु मैट्रिक परीक्षा के उपरान्त दलितों की आर्थिक सहायता के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना था। जिससे छात्र शिक्षा प्राप्त कर सकें।

अनच्छेद 45 अशिक्षा को दूर करने के अनुच्छेद से राज्य को 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। संविधान के 86वें संशोधन में सन् 2002 के माध्यम से इस अनुच्छेद में यह प्रावधान दिया गया है कि राज्य 6 वर्ष के आयु तक के बच्चों के शुरूआती देखभाल तथा

शिक्षा की व्यवस्था का प्रयास करेगा।

ज्यातिराव फूले ने स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए सन् 1848 में पूना में लड़कियों के लिए एक पाठशाला खोली। जो एक भारतीय द्वारा खोली गई वह एक पहली पाठशाला थी जिसमें बिना किसी भेदभाव के सभी धर्मों, जाति, वर्ग आदि की महिलाओं/लड़कियों आदि के लिए पढ़ने की व्यवस्था की गई थी। यह पाठशाला सभी महिलाओं के लिए खोली गयी थी। जिससे महिलाओं एवं लड़कियों को शिक्षा मिल सके।

सन् 1991-2001 की अवधि में सम्पूर्ण साक्षरता में 15 प्रतिशत की वृद्धि पाई गई। सन् 2001 में साक्षरता के प्रतिशत में 65 प्रतिशत का अंक छू लिया है। महिला साक्षरता में 11 प्रतिशत की वृद्धि पाई गई है। जबकि पुरुष साक्षरता में वृद्धि की तुलना में महिला साक्षरता में अधिक वृद्धि के लिए एक शुभ संकेत हैं।

सन् 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता की दर 64.8 प्रतिशत है और इसमें भी महिला साक्षरता महज 53.8 फीसदी है । 100 में से 46 महिलाएं आज भी निरक्षर हैं, उनके लिए काला अक्षर भैंस से ज्यादा अहमियत नहीं रखता।

भारतीय संविधान एवं अनुसूचित जातियों की शिक्षा-

स्वतन्त्रता के बाद अनुसूचित जातियों के शैक्षिक विकास पर बल दिया गया है जिससे वे गैर अनुसूचित जाति के लोगों के बराबर एवं समान हो सके। ये समानता सभी क्षेत्रों, स्तरों पर इन चारों आयामों पर होनी चाहिए। जैसे- ग्रामीण पुरुषों में, ग्रामीण महिलाओं में, शहरी पुरुषों में, तथा शहरी महिलाओं में इत्यादि शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जो इन्हें बराबर तथा समानता में आ सके।

अनुसूचित जातियों के लिए शैक्षिक सुविधाओं को विस्तार रूप देने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम साधनों को उपयोग में लाना है। अनुसूचित जातियों का शिक्षा की प्रक्रिया में बदलाव लाने के लिए कई तरीकों की खोज जारी रखना है। जिला केन्द्रों पर अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए छात्रावास एवं छात्रवृत्ति की सुविधाओं को बढ़ाना है।

अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना- यह योजना सामाजिक न्याय एवं

अधिकारित मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। इस योजना के द्वारा अनुसूचित जाति के परिवारों की सहायता करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है । इस योजना के अन्तर्गत 9वीं तथा 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों को मदद मिल सके। तथा अनुसूचित जाति के छात्र 9वीं तथा 10वीं कक्षा में ज्यादा से ज्यादा छात्रों को मदद मिल सके।

अनुसूचित जाति के छात्रों को उच्च शिक्षा की पढ़ाई करने के लिए छात्रवृत्ति का प्रावधान

राजीव गाँधी राष्ट्रीय शिक्षावृत्ति योजना-

अनुसूचित जाति के छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है जिनमें राजीव गाँधी राष्ट्रीय शिक्षावृत्ति योजना है। यह योजना उन छात्रों के लिए होती है जो छात्र एम.फिल. एवं पी.एच.डी. की पढ़ाई करते हैं। इस योजना को सामाजिक न्याय एवं अधिकारित मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इस योजना का निधिकरण केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है।

अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए शीर्ष स्तरीय शिक्षा हेतु केन्द्रीय छात्रवृत्ति योजना-

इस योजना के तहत अन्तर्गत 12वीं कक्षा से ऊपर की पढ़ाई कर रहे अनुसूचित जाति के छात्रों को सहायता प्रदान की जाती है। यह सामजिक न्याय एवं अधिकारित मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति के छात्रों को सहायता प्रदान करना है।

अनुसूचित जातियों के लिए संवैधानिक शैक्षिक प्रावधान-

अनुसूचित जाति के छात्रों (पी.एम.एस.-एस.सी.) के लिए पोष्ट मैट्रिक छात्रवृत्तिः अनुसूचित जाति के छात्रों के शैक्षिक सशक्तीकरण के लिए भारत सरकार द्वारा योजना सबसे बड़ा हस्तक्षेप है। यह एक केन्द्र प्रयोजित योजना है तथा इस योजना के तहत राज्य सरकारों केन्द्रीय सहायता जारी की जाती है।

अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए शीर्ष स्तर की शिक्षा योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति के छात्रों की गुणात्मक शिक्षा को बढ़ावा देना है। इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

1 **सन् 2006 में शिक्षा के अधिकार-** अधिनियम में वर्नर मनोज ने सुझाव दिया है कि दलित बालिकाओं के

स्कूल में नामांकन एवं स्थिर छात्रा के लिए सभी बाधाओं को हटाने का संकल्प होना चाहिए।

2 **आई. एस. डी. एन.** ने भी सरकार को सुझाव दिया है कि यू.एन. ड्राफ्ट के नियमानुसार दलित समूहों की बालिकाओं की शिक्षा में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ढांचा तैयार किया जाता चाहिए।

3 **यू.एन. फोरम ऑफ मायनॉरिटीज इश्यूज** की बैठक सन् 2008 में बांग्लादेश में हुई थी जिसमें दलितों एवं अल्पसंख्यक बालिकाओं की शिक्षा से पलायन एवं उनके शोषण के कारणों पर विस्तृत चर्चा कर संकल्प पारित किया गया।

4 **राष्ट्रीय फैलोशिप-** यह योगना अनुसूचित जाति के छात्रों को एम.फिल. तथा पी.एच.डी. के शोध अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

5 **अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग योजना-** इस योजना का उद्देश्य है। इस योजना के द्वारा अनूसूचित जाति के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। इस योजना के उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर अनुसूचित जाति के छात्रों की गुणवत्ता की कोचिंग प्रदान की जाती है। तथा अनुसूचित जाति के छात्रों को केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

समस्या कथन-

भारत एक ऐसा देश रहा है जहाँ महिलाओं को उच्च स्थान दिया गया था परन्तु सदैव से ही इसमें युगानुरूप महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन दिखलाई पड़ते हैं। महिलाओं की स्थिति को लेकर समाज में मनुस्मृति का वर्णन किया गया है। जिसमें वर्णव्यवस्था को चार वर्गों में विभाजित किया गया है। जैसे- ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक एवं श्रेष्ठ थी। इस युग में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार भी स्त्रियों को पुरुषों की भांति समान रूप से प्राप्त था। हालांकि उत्तर वैदिक काल में ईसा से 600 वर्ष से लेकर 300 वर्ष में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आना प्रारम्भ हो गयी। यहाँ महिलाओं के अधिकारों को सीमित कर दिया गया तथा समाज में चौथा वर्ण, उसमें अनुसूचित जाति की महिलायें अत्यन्त दयनीय एवं निम्नस्तर की थी। जिनको किसी भी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं थे अर्थात् संविधान लागू होने से पूर्व शिक्षा

एवं अन्य सभी अधिकारों से वंचित रखा गया परन्तु संविधान लागू होने के बाद एवं सरकार की शिक्षा नीति का पूरा लाभ इस वर्ग की महिलाओं को प्राप्त नहीं हो पाया जिसका कारण जातिगत नियम एवं भेदभाव ग्रामीण परिवेश में चर्म स्तर पर है। हिन्दू चर्म की परम्पराओं एवं जातिगत नियम का दुष्प्रभाव इस वर्ग की महिलाओं पर वर्तमान में भी दिखाई पड़ता है। परन्तु शहरी परिवेश का प्रभाव इनका अपनी ओर आकृर्षित करने लगा। जिससे धीरे-धीरे ये शिक्षा की ओर बढ़ने लगी है तथा फिर भी दूसरे वर्ग की महिलाओं से काफी पिछड़ी है। इस अध्ययन के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया जायेगा कि वर्तमान में अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग की महिलाओं की तुलना में अनुसूचित जाति की महिलाओं के पिछड़ेपन को दूर करने में मेरा यह अध्ययन सहायक सिद्ध हो सकता है।

अध्ययन का महत्व-

भारत देश में जहाँ सभी शिक्षा के माध्यम से आगे है वही दूसरी ओर महिलायें शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ी हुई है तथा महिलाओं का जीवन संघर्षों से भरा हुआ है उनकी ऐतिहासिक, सामाजिक तथा आर्थिक पृष्ठभूमि का आंकलन करना है। इस लम्बे नरकीय दौर में उनकी उपलब्धियों, संघर्षों की खोज कर ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना है जो भविष्य के अन्धकार से निकलने की प्रेरणा दे सके। ग्रामीण अनुसूचित जाति की महिलाओं को अत्यधिक संघर्षों का सामना करना पड़ता है। अशिक्षित होने के कारण उन्हें अपमानित किया जाता है उन्हें घर तक ही सीमित कर दिया जाता है।

इसलिए प्रस्तुत अध्ययन में ग्रामीण अनुसूचित जाति की महिलाओं के जीवन में उत्पन्न सामाजिक, आर्थिक एवं रूढ़िवादिता सम्बन्धित चुनौतियों का अध्ययन किया जायेगा। उनके जीवन में आने वाली बाधाओं का भी अध्ययन किया जायेगा। जिससे उनमें कानून एवं संवैधानिक अधिकारों के जागरूकता आ सके। जिससे महिलाओं की स्थिति में सुधार किया जा सके। समाज में महिलाओं को आदर-सम्मान की दृष्टि से स्थान प्राप्त हो सके।

इस सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए शोधार्थिनी ने इस विषय की महत्वता को बताया है तथा यह

अध्ययन भविष्य के अध्ययनों के लिए साहित्य भी प्रदान करता है।

सम्बन्धित साहित्य का पुर्नरावलोकन-

आहूजा, राम (1995)- माहत्मा गांधी ने यद्यपि हरिजनों की समस्याओं को 1924 से ही उठाया था, किन्तु उससे पूर्व भी कुछ प्रयत्न किये गये थे उनमें से प्रमुख प्रयत्न था 1916-1922 के बीच दलित वर्ग में शिक्षा को प्रोत्साहन देना। उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु मैट्रिक परीक्षा के उपरान्त आर्थिक सहायता के रूप में छात्रवृत्ति प्रदान करना।

आहूजा, राम (2000)- प्राथमिक, माध्यमिक तथा हाईस्कूल तक दलितों का नामांकन लगभग 15 प्रतिशत है तथा उच्च माध्यमिक स्नातक, स्नातकोत्तर स्तर पर लगभग 8 प्रतिशत है। शिक्षा में उनकी कृति निम्न स्तर की है। हाई स्कूल स्तर पर दलितों के पास औसत 53 प्रतिशत है इसके विपरीत सामान्य के पास 65 प्रतिशत है। स्नातक स्तर पर 35 प्रतिशत है इसके विपरीत सामान्य उत्तीर्ण प्रतिशत 76 प्रतिशत है।

वर्मा, सवलिया बिहारी (2004)- अप्रैल 1989 में महिला समाख्या योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को महिला संघ के द्वारा शिक्षा दी गई। महिला संघों में महिलाओं को स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी तथा विकास कार्यक्रमों जैसे मुद्दों पर जागरूक बनाया गया। 1991 में यूनीसेफ की सहायता में बिहार शिक्षा परियोजना शुरू की गई। इसका मुख्य लक्ष्य प्राथमिक शिक्षा को व्यापक बनाना तथा राज्य में शिक्षा के स्तर में सुधार लाना था।

सिंह, वी० एन० एवं सिंह, जनमेजय (2005)- डॉ० अम्बेडकर पूरी समाजिक व्यवस्था पर प्रश्न खड़ा करते हैं। दलितों पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए दलित आन्दोलन को उन्होंने जुझारू बनाया, चेतनशील बनाया और अपनी जाति को शिक्षित करने की बीड़ा उठाया।

अग्रवाल, शशिनारी (2005-2006)- सन् 1991-2001 की अवधि में सम्पूर्ण साक्षरता में 15 प्रतिशत की वृद्धि पाई गई है। सन् 2001 में साक्षरता के प्रतिशत में 65 प्रतिशत अंक प्राप्त किया है। महिला साक्षरता में 11 प्रतिशत की वृद्धि पाई गई है। जबकि पुरुष साक्षरता में वृद्धि की तुलना में महिला साक्षरता में अधिक वृद्धि

हमारे लिए एक शुभ संकेत है।

यदुलाल, कुसुम (2006)- 'अछूत' समुदाय के विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से डॉ० अम्बेडकर ने छात्रावास स्थापित किए और वहाँ छात्रों का निःशुल्क पुस्तकें एवं कपड़े उपलब्ध कराये। ऐसे छात्रावासों से इन समुदायों में प्राइमरी तथा हाई स्कूल की शिक्षा को बढ़ावा देने में काफी मदद मिली।

सारस्वत, स्वप्निल (2007)- सन् 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता की दर 64.8 प्रतिशत है और इसमें भी महिला साक्षरता महज 53.8 फीसदी है। 100 में से 46 महिलाएँ आज भी निरक्षर है, काला अक्षर उनके लिए किसी भैंस से ज्यादा अहमियत नहीं रखता।

कटारिया, सुरेश एवं वैद, गुन्जन (2008)- अनुच्छेद 45 अशिक्षा को दूर करने के उद्देश्य से राज्य के 14 वर्ष तक की आयु तक सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपलब्ध करने का निर्देश देता है। संविधान के 86वें संशोधन 2002 के माध्यम सये इस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है।

आहूजा, राम एवं आहूजा, मुकेश (2008)- सन् 1971 से न्यूनेस्को द्वारा स्थापित शिक्षा के विकास पर गणित अन्तर्राष्ट्रीय आयोग की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा की प्रमुख आवश्यकता है- "जानना, हासिल करना, बनना"। यहाँ 'होना' का अर्थ 'व्यक्तित्व और इसके विकास' से है।

सिंह, तेज (2011)- ज्योतिराव फूले ने स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन के लिए 1848 में पूना में लड़कियों के लिए एक पाठशाला खोली जो एक भारतीय द्वारा खोली गयी। पहली पाठशाला थी उसमें बिना किसी भेद-भाव के सभी धर्म जातियाँ, वर्ग की लड़कियाँ एवं महिलाओं को पढ़ाने की व्यवस्था थी।

हुसैन, अनवर (2015)- सामाजिक एवं शैक्षणिक स्तर पर महिलाओं और पुरुषों के बीच असमानता विद्यमान रही है। जनसंख्या में महिलाओं की आबादी पुरुषों की आबादी की लगभग 50 प्रतिशत रही है। भारत में पुरुषों की तुलना में अनुसूचित जाति की महिलाओं की साक्षरता दर में सन् 1971 से 1991 के बीच जो वृद्धि हुई है।

सिंह, रामगोपाल/रावत पब्लिकेशन्स- प्रायः सभी राज्यों में महिलाओं की शिक्षा निःशुल्क रखी गई है।

कतिपय राज्यों में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित किये गये हैं। अनुच्छेद 15 (3) एवं अनुच्छेद रूप तथा अनुसूचित जातियों, जनजातियों व सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित अनुच्छेद 15 (4), 16 (4) तथा 23 विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

अध्ययन का उद्देश्य-

1 अनुसूचित जाति महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना।

2 अनुसूचित जाति की महिलाओं में उत्पन्न शैक्षिक गतिशीलता का अध्ययन करना।

3 अनुसूचित जाति की महिलाओं की शिक्षा में उत्पन्न बाधक कारकों का अध्ययन।

4 अनुसूचित जाति की महिलाओं की शिक्षा हेतु संवैधानिक प्रावधानों एवं सरकारी कार्यक्रमों की भूमिका का अध्ययन।

5 अनुसूचित जाति की महिलाओं एवं अन्य वर्गों की महिलाओं के शैक्षिक स्तर का तुलनात्मक अध्ययन करना।

परिकल्पना-

1 ग्रामीण अनुसूचित जाति महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति दयनीय एवं निम्न है।

2 ग्रामीण अनूसूचित जाति की महिलाओं में परम्परागत कानूनों व रूढ़ियों के कारण शिक्षा का

3 अभाव पाया जाता है।

4 ग्रामीण अनुसूचित जाति की महिलाओं की शिक्षा में पितृसत्तात्मक, जातिगत व लिंग भेद इत्यादि के द्वारा शिक्षा में कठिनाई उत्पन्न होती रही है।

5 अनुसूचित जाति की महिलाओं की शिक्षा के सवैंधानिक प्रावधानों एवं सरकारी कार्यक्रमों के कारण शिक्षा में सुधार व वृद्धि हुई है।

6 अन्य वर्गों की तुलना में अनुसूचित जाति की महिलाओं का शैक्षिक स्तर निम्न पाया जाता है।

पद्धतिशास्त्र-

पद्धतिशास्त्र का अर्थ उन सभी तरीकों और तकनीकों के रूप में समझा जा सकता है जिनका उपयोग

अनुसंधान के प्रयोग के लिए किया जाता है तथा इसी प्रकार प्रस्तुत शोध में अध्ययन के लिए आगरा जनपद के ग्रामीण अनुसूचित जाति की महिलाओं के शैक्षिक स्तर का अध्ययन किया जायेगा।

तालिका संख्या-01, भारत और उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की आबादी

वर्ष	भारत (प्रतिशत में)	उत्तर प्रदेश (प्रतिशत में)
1991	16.5%	21%
2001	16.2%	21.2%
2011	16.6%	20.7%

तालिका संख्या-02, आगरा ग्रामीण क्षेत्र की वर्गगत जनसंख्या (2011)

जाति	जनसंख्या
सामान्य वर्ग	7,06,775
पिछड़ा वर्ग	12,41,591
अनुसूचित जाति	5,61,775
अनुसूचित जनजाति	1,172

यानि जिले के 690 आगरा ग्रामीण क्षेत्रों की कुल आबादी में से 49.44 फीसदी पिछड़ा जाति और 22.37 अनुसूचित जाति है।

शोध प्ररचना- प्रस्तुत अध्ययन में अन्वेषणात्मक एवं व्याख्यात्मक अनुसंधान अभिकल्प का प्रयोग किया जायेगा। व्याख्यात्मक अनुसंधान अभिकल्प का प्रमुख उद्देश्य विषय और समस्या के सम्बन्ध में यथार्थ तथ्यों का सूचनाओं के आधार पर अन्वेषणात्मक एवं व्याख्यात्मक विवरण प्रस्तुत करना है।

अध्ययन क्षेत्र- प्रस्तुत शोध में अध्ययन हेतु आगरा जनपद का चयन किया गया है। आगरा जनपद में ग्रामीण अनुसूचित जाति की महिलाओं को सम्मिलित किया गया जायेगा जिससे आगरा जनपद के 12 ब्लॉक को चयन किया जायेगा।

निदर्शन- प्रस्तुत शोध में शोधार्थिनी द्वारा आनुभाविक प्रतिवेदन के अन्तर्गत दैव निदर्शन विधि का प्रयोग किया जायेगा। जिसमें आगरा जनपद के 12 ब्लॉक में से दो-दो गाँव की ग्रामीण अनुसूचित जाति की महिलाओं की 440 (4 प्रतिशत) इकाइयों को चयनित किया जायेगा।

अध्ययन संयत्र-

प्रस्तुत अध्ययन में अवलोकन व साक्षात्कार अनुसूची इत्यादि अध्ययन सयंत्रों का प्रयोग किया जायेगा।

अध्ययन शोध प्रविधि-

प्रस्तुत अध्ययन में संयत्र के रूप में सारणीयन तथा ज्यामितीय इत्यादि विधि का प्रयोग किया जायेगा।

तथ्य संग्रहण की प्रविधियां-

प्रस्तुत शोध में तथ्यों के तथ्य संकलन हेतु प्राथमिक एवं द्वितीयक स्त्रोतों का प्रयोग किया जायेगा। प्राथमिक स्त्रोतों में साक्षात्कार, अनुसूची, अवलोकन तथा द्वितीयक स्त्रोतों में पुस्तकों, पत्रिकाओं, शोध-पत्र व इंटरनेट का प्रयोग किया जायेगा तथा प्रस्तुत शोध की प्रकृति गुणात्मक एवं परिणाम होगाी।

तथ्यों का वर्गीकरण, सारणीयन, विश्लेषण एवं सामान्यीकरण-

प्रस्तुत अध्ययन में तथ्यों को संकलित करने के पश्चात् उनके वर्गीकरण को सारणीयन में विधि द्वारा प्रदर्शित किया जायेगा। तत्पश्चात् तथ्यों का चित्रमय प्रदर्शन करने के बाद उनका विश्लेषण किया जायेगा। अन्त में निष्कर्ष सामान्यीकरण द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा।

प्रस्तावित अध्ययन अध्याय

प्रथम अध्याय: प्रस्तावना

- प्रस्तावना
- अवधारणात्मक स्पष्टीकरण
- शोध की समस्या
- अध्ययन का महत्व
- साहित्य का पुनर्वालोकन
- अध्ययन के उद्देश्य

द्वितीय अध्याय: पद्धतिशास्त्र

- अध्ययन की परिकल्पना
- पद्धतिशास्त्र
- शोध प्ररचना
- अध्ययन का क्षेत्र
- निदर्शन
- अध्ययन के सयंत्र
- अध्ययन शोध प्रविधि
- तथ्य संग्रहण की प्रविधियाँ
- तथ्यों का वर्गीकरण, सारणीयन, विश्लेषण एवं सामान्यीकरण।

तृतीय अध्याय:

- अनुसूचित जाति की महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति का अध्ययन।

चतुर्थ अध्याय:

- अनुसूचित जाति की महिलाओं में उत्पन्न शैक्षिक गतिशीलता का अध्ययन करना।

पंचम अध्याय:

- अनुसूचित जाति की महिलाओं की शिक्षा में उत्पन्न बाधक कारकों का अध्ययन।

षष्टम अध्याय:

- अनुसूचित जाति की महिलाओं की शिक्षा हेतु संवैधानिक प्रावधानों एवं सरकारी कार्यक्रमों की भूमिका का अध्ययन।

सप्तक अध्याय:

- अनुसूचित जाति की महिलाओं एवं अन्य वर्गों की महिलाओं के शैक्षिक स्तर का तुलनात्मक अध्ययन करना।

अष्ठम अध्याय: परिणाम एवं सुझाव

- निष्कर्ष

संदर्भ ग्रंथ सूची

- राम आहूजा (1995), भारतीय सामाजिक व्यवस्था, रावत पब्लिकेशन, जयपुर।
- आहूजा राम (2000), भारतीय समाज, रावत पब्लिकेशन, जयपुर।
- सवलिया बिहारी वर्मा (2004), ग्रामीण विकास आविष्कार पब्लिशर्स डिस्ट्रीव्यूटर्स, जयपुर, प्रेमचन्द्र बाकलीवाल।
- बी.एन. सिंह एवं जनमेजय सिंह (2005), भारत में सामाजिक आन्दोलन, रावत पब्लिकेशन, जयपुर।
- शशिरानी अग्रवाल, (2005-2006), समाजशास्त्र विभाग, स्त्री: वर्तमान संदर्भ में, विजय प्रकाशन मन्दिर, वाराणसी।
- कुसुम यदुलाल (2006), दलित शिक्षा का परिदृश्य, कल्पना पब्लिकेशन, दिल्ली।
- स्वप्निल सारस्वत (2007), महिला विकास एक परिदृश्य, (भारत सरकार द्वारा 'भारतेन्दु हरिशचन्द पुरस्कार' से सम्मानित कृति) नई दिल्ली।
- राम आहूजा एवं मुकेश आहूजा (2008), समाजशास्त्र विवेचना और परिप्रेक्ष्य, रावत पब्लिकेशन।
- सुरेश कटारिया एवं गुन्जन वैद (2008), भारत में ग्रामीण विकास, मलिक एण्ड कम्पनी, जयपुर।
- तेज सिंह (2011), अम्बेडकरवादी स्त्री-चिंतन, सामाजिक शोषण के खिलाफ आत्मवृत्तात्मक संघर्ष, स्वराज प्रकाशन, नई दिल्ली।
- अनवर हुसैन (2015), महिला संगठन एवं समाज, रितु पब्लिकेशन्स प्रकाशन, शिव कुमार शर्मा।
- राम गोपाल सिंह, सामाजिक न्याय, लोकतन्त्र और जाति व्यवस्था, रावत पब्लिकेशन, जयपुर।
- राम नारायण सक्सेना, एम.ए., पी.एच.डी. डी.लिट् प्रोफेसर समाजशास्त्र तथा संचालक, समाज विज्ञान विद्यापीठ, आगरा विश्वविद्यालय, भारतीय समाज तथा सामाजिक संस्थाएं, पब्लिकेशन मैथमिलन एण्ड

कम्पनी लिमिटेड।

- राम आहूजा, भारतीय सामाजिक व्यवस्था, रावत पब्लिकेशनस, जयपुर एवं नई दिल्ली।
- राष्ट्रीय फोकस अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (2010), अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों की समस्याऐं, जून 2010, ज्येष्ठ 1932।
- https://www.hinditecharea.com/2017/08
- https://hi.wikipedia.ogr/wiki/शिक्षा
- https://hi.wikipedia.ogr/wiki/indesphp/title सभी के लिए शिक्षा पर विश्वव्यापी घोषणा 1990 action_editsredink.
- https://www.hindivibhag.com/शिक्षा
- https://hi.wikipedia.ogr/wiki/प्राचीन-भारतीय शिक्षा
- https://vicharkranti.com/education.guo.
- https://hi.wikipedia.ogr/wiki/भारतीय शिक्षा का इतिहास
- https://www.india.gov.in/hi/अनुसूचित जाति
- https://vikaspedia.in/social.welfare/sche
- M.hindi.webelunia.com
- https://www.ncsc.hic.in
- https://www.ncert.nin.in
- https://www.amarujala.com
- https://www.jagran.com/uttar_pradesh
- https://www.censusindia.gov.in